मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक : एफ 11-6-2010-नियम-चार   भोपाल, दिनांक 06 मई, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय कार्यालयों की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु प्रबंध.

संदर्भ.—वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1603/2000/सी/चार, भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2000.

राज्य सरकार के विभागों में कार्यालयों की साफ-सफाई हेतु कर्मचारी उपलब्ध न होने से उत्पन्न कठिनाईयों के समाधान की दृष्टि से संदर्भित ज्ञापन में निहित शर्तों के अधीन विभागों को प्रदत्त आकस्मिक व्यय के बजट प्रावधान के अंतर्गत कार्यालय प्रमुखों द्वारा आवश्यकतानुसार सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु दरों का निर्धारण किया गया है.

2. समय व्यतीत होने के साथ मूल्यों में आई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2000 में निर्धारित दरों को राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है:—

(i) 2000 वर्गफीट तक निर्मित क्षेत्रफल के कार्यालयों के लिए प्रतिमाह रूपये 1500/- (रुपये एक हजार पांच सौ) तक साफ-सफाई पर व्यय करने की अनुमति होगी.

(ii) 2000 वर्गफीट से अधिक परन्तु 5000 वर्गफीट से कम निर्मित क्षेत्रफल वाले कार्यालयों के लिए प्रतिमाह रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार) तक साफ-सफाई पर व्यय किये जाने की अनुमति होगी.

(iii) 5000 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले कार्यालयों के लिए प्रति 100 (सौ) वर्गफीट रुपये 60/- (रुपये साठ) प्रतिमाह तक सफाई पर व्यय का प्रावधान होगा.

3. उपर्युक्त व्यवस्था के लिए संदर्भित ज्ञाप दिनांक 28 जुलाई, 2010 में दर्शित शर्तें यतावत रहेगी, जो त्वरित संदर्भ के लिए पुनः उद्धृत हैं:—

"उपरोक्त व्यय विभागों को प्रदत्त आकस्मिक व्यय के बजट प्रावधान से वहन किया जावेगा. कार्यालय प्रमुख अपने आवश्यकतानुसार उक्त राशि की सीमा तक व्यय करते हुए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे. किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि से नियमित तथा दैनिक वेतन पर कर्मचारी शासकीय सेवा में नहीं रखे जायेंगे और न ही उक्त कार्य की सेवा शासकीय सेवा के अंतर्गत मानी जायेगी. यदि कार्यालय प्रमुख पूरे कार्यालय की सफाई, शौचालयों की सफाई व्यवस्था को वार्षिक ठेके पर देने का निर्णय लेते हैं तो इसके लिये उपयुक्त शर्तें बनाकर उक्त व्यय सीमा के भीतर कार्यवाही कर सकते हैं.

जिन कार्यालयों के सफाई व्यवस्था हेतु पूर्व से ही पद स्वीकृत हैं एवं जिन पर नियमित अथवा दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है, उन कार्यालयों के लिए ये आदेश प्रभावशील नहीं होंगे. सफाई व्यवस्था हेतु स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा अन्य किसी स्थिति में पद रिक्त होने पर, कार्यालय प्रमुख इन आदेशों में उल्लेखित व्यवस्था अपने कार्यालय हेतु लागू कर सकते हैं."

4. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(अश्विनी कुमार राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.